भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2045

दिनांक 30.07.2026 को उत्तर के लिए नियत

एमएसएमई के समक्ष आने वाली चुनौतियां

2045. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रेः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में विद्युतकरघा तथा अन्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को कार्यशील पूंजी तथा ऋण की उपलब्धता, पुरानी मशीनरी और प्रौद्योगिकी, उच्च औद्योगिक बिजली की लागत तथा जीएसटी अनुपालन से जुड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है और उत्पादन, प्रतिस्पर्धात्मकता तथा रोजगार पर उनके प्रभाव के मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन समस्याओं के समाधान के लिए कोई विशेष योजना लागू की है और वित्तीय सहायता, प्रोद्यौगिकी उन्नयन, ऋण सुविधा, कौशल विकास या अन्य उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार भिवंडी में पावरलूम तथा अन्य एमएसएमई इकाइयों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए किसी विशेष कार्ययोजना को तैयार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (पावरलूम इकाइयों सहित) को महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भिवंडी सहित देश के विभिन्न हिस्सों में समय पर और पर्याप्त ऋण तक पहुंच, अप्रासंगिक प्रौद्योगिकी, इनपुट लागत में उतार-चढ़ाव, बाजार पहुंच और अनुपालन आवश्यकताओं जैसी प्रचालन और व्यवसाय संबंधी विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

एमएसएमई के समक्ष मौजूद बाधाओं की पहचान करने के लिए सरकार उद्योग संघों और हितधारकों के साथ निरंतर बातचीत करती है और समय-समय पर उचित नीतिगत उपाय करती है। साथ ही सरकार ने महाराष्ट्र सहित देश में एमएसएमई के लिए वित्त, प्रौद्योगिकी, बाजार, कौशल वर्धन और कारोबारी सुगमता में सुधार के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है।

(ग) और (घ): एमएसएमई मंत्रालय भिवंडी, महाराष्ट्र सहित देशभर में एमएसएमई को वित्त, प्रौद्योगिकी, बाजारों, कौशल आदि तक पहुंच में सहायता के लिए विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। इनमें सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी स्कीम (सीजीएस) सदस्य ऋणदाता संस्थानों द्वारा दिए गए ऋणों के लिए संपार्श्विक-मुक्त ऋण गारंटी कवरेज प्रदान करती है; आत्मनिर्भर निधि (एसआरआई) बड़ी इकाई बनने की क्षमता और अर्थक्षम वाले एमएसएमई में इक्विटी फंडिंग का समावेश होता है; एमएसएमई कार्यनिष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (रैंप) एमएसएमई पारितंत्र को सुदृढ़ करने, बाजार पहुंच में सुधार, प्रौद्योगिकी अंगीकरण, संस्थागत क्षमता और सुधारों के कार्यान्वयन में राज्यों को सहायता प्रदान करता है; प्रापण और विपणन सहायता (पीएमएस) स्कीम एमएसएमई को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों और विक्रेता विकास कार्यक्रमों में भाग लेने की सुविधा प्रदान करती है; उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) उद्यमिता, कौशल विकास और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करता है; और एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण, परामर्श और सामान्य सुविधा सहायता प्रदान करते हैं। भिवंडी सहित महाराष्ट्र में इन कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रगति का विवरण **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

इसके अलावा, वस्त्र मंत्रालय ने कपड़ा क्षेत्र के विकास के लिए समय-समय पर विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन किया है, और भिवंडी क्लस्टर सहित अखिल भारतीय आधार पर कार्यान्वित केंद्र सरकार की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत बुनकरों और उद्यमियों को सहायता प्रदान की गई है। ये स्कीमें केवल विस्तार या अंतरित (रोल ओवर) देयताओं के लिए प्रचालन में हैं। इन स्कीमों के अंतर्गत भिवंडी के लिए प्रदत्त सहायता **अनुलग्नक-II** में है।

अनुलग्नक-I

एमएसएमई मंत्रालय की स्कीमों के माध्यम से प्रदत्त सहायता का विवरण

1. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी स्कीम:

- वर्ष 2000 में इसकी शुरुआत से लेकर दिनांक 30.06.2026 तक सीजीएस के अंतर्गत एमएसई को 14.69 लाख करोड़ रुपये की कुल 1.47 करोड़ ऋण गारंटी दी गई है, जिसमें से 1.73 लाख करोड़ रुपये की 11.84 लाख ऋण गारंटी महाराष्ट्र में दी गई।
- इसके अलावा, इस अवधि के दौरान भिवंडी सहित ठाणे जिले में 19,344 करोड़ रुपये की 1.22 लाख ऋण गारंटी सहायता प्रदान की गई है।

2. आत्म-निर्भर भारत (एसआरआई) कोष:

- वर्ष 2021 में इसकी शुरुआत से दिनांक 30.06.2026 तक 766 एमएसएमई को 20,004 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के माध्यम से सहायता प्रदान की गई है, जिसमें से महाराष्ट्र में 176 एमएसएमई को कुल 4,831.9 करोड़ रुपये के निवेश कोष के साथ सहायता प्रदान की गई है।
- इसके अलावा, इस अवधि के दौरान भिवंडी सहित ठाणे जिले में 12 एमएसएमई को कुल 437.14 करोड़ रु. के निवेश कोष के साथ सहायता प्रदान की गई है।

3. एमएसएमई कार्य-निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (रैंप):

- महाराष्ट्र में रैंप कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यनीतिक निवेश योजना (एसआईपी) के माध्यम से विभिन्न अंत:क्षेपों में कुल 2,08,645 एमएसएमई लाभार्थियों ने भाग लिया। ठाणे जिले में रैंप कार्यक्रम के माध्यम से 9,870 एमएसएमई लाभान्वित हुए।

4. प्रापण और विपणन सहायता (पीएमएस) स्कीम:

व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में व्यक्तिगत एमएसई की भागीदारी की दृष्टि से पीएमएस स्कीम के अंतर्गत महाराष्ट्र में लाभार्थियों की कुल संख्या:

वित्तीय वर्ष	घरेलू व्यापार मेलों की कुल सं.	महाराष्ट्र में घरेलू व्यापार मेलों की सं.	महाराष्ट्र में कुल लाभार्थी
2023-24	256	68	3245
2024-25	255	32	1942
2025-26	276	38	1837

5. उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)

पिछले 3 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में प्रगति

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	संचालित कार्यक्रमों की सं.	लाभार्थियों की सं.
1.	2023-24	386	16669
2.	2024-25	1339	56302
3.	2025-26	1609	68127

पिछले 3 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के भिवंडी (ठाणे जिला) में ईएसडीपी स्कीम की प्रगति

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	संचालित कार्यक्रमों की सं.	लाभार्थियों की सं.
1.	2023-24	5	250
2.	2024-25	30	1411
3.	2025-26	83	3477

डाटा स्रोत: एमआईएस पोर्टल

अनुलग्नक-II

वस्त्र मंत्रालय की स्कीमों के अंतर्गत प्रदत्त सहायता का ब्योरा

केंद्रीय सरकार के वस्त्र मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत प्रदत्त सरकारी सहायता

क्र.सं.	स्कीम	भिवंडी — इकाइयों/परियोजनाओं की सं.	वित्तीय सहायता (करोड़ रु.)
1	संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम (एटीयूएफएस)	291	69.07
2	इन-सीटू अपग्रेडेशन फंड स्कीम	6257	56.56
3	समूह वर्कशेड स्कीम	2	0.91
4	यार्न बैंक	1	0.50
6	एकीकृत वस्त्र पार्क स्कीम(एसआईटीपी)	1	40

इसके अलावा, महाराष्ट्र में पावरलूम श्रमिकों के लिए समूह बीमा स्कीम के कार्यान्वयन के माध्यम से भी वस्त्र मंत्रालय द्वारा बुनकरों को सहायता प्रदान की गई है जो निम्नानुसार है:

क्र.सं.	नामांकन	मृत्यु दावा	मृत्यु दावा	शिक्षा सहयोग योजना (एसएसवाई)	
	सं.	सं.	वित्तीय सहायता	सं.	वित्तीय सहायता
1	3,28,705	3,148	15.69 करोड़	5,539	48.65 लाख